

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-136/2019/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती मीना खेदड पुत्री श्री शीशराम खेदड, नर्स-2, अधीक्षक, पी0बी00एम0 एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर को विदेश यात्रा (कनाडा) जाने हेतु दिनांक 01.08.2019 से 30.09.2019 तक 61 दिवस की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-136/2019/927

दिनांक:- 12/11

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक: 164/एसएम/एमएच/2019 दिनांक 02.07.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर को उनके आई डी क्रमांक: 4112/पीएस/एसीएस/एमएच/2019 दिनांक 03.07.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक: 1191 दिनांक 02.07.2019 के संदर्भ में।
4. अधीक्षक, अधीक्षक, पी0बी00एम0 एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर